137

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग

क्रमांक/प्रवाचक/अपर आयु0/2018 जबलपुर दिनांक 29/11/ 2018

विविध–0036/2019/कटनी/भू.२५

प्रति,

अवर सचिव,
राजस्व मण्डल,
मोती महल ग्वालियर,
कैम्प, जबलपुर।

विषय–इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 0310/अपील/16–17 के पुनर्विलोकन हेतु अनुमति बाबत्।

000

विषयांकित प्रकरण मे इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण मे दिनांक 12/2/2018 को आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थीगण श्रीमती तारा शुक्ला एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है। उक्त अपील के संबंध मे अपीलार्थीगण की ओर से मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दिनांक 10/9/2018 को पुनः नंबर पर लिया जाकर अपीलार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। चूं
कि प्रकरण मे इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण मे पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु मा. राजस्व मण्डल को मूल अभिलेख सहित प्रकरण प्रेषित है।

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार	पारित आदेश
1	न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग का प्रकरण क्रमांक 0318/अपील/16–17 आदेश पत्रिका पृष्ठ क्रमांक 1 से 7	श्रीमती तारा शुक्ला एवं अन्य विरूद्व मध्यप्रदेश शासन।	12/2/2018
2	अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो, न्यायालय कलेक्टर, कटनी के प्रकरण क्रमांक 128/बी–121/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 20/9/2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि, अधिवक्ता पत्र, मांग पत्र। पृष्ठ 1 से 29		
2	पुनर्विलाकन आदेश पत्रिका पृष्ठ 1, पुनर्विलोकन आवेदन पृष्ठ 1 से 9	मोहन शुक्ला द्वारा तारा शुक्ला एवं अन्य विरूद्व	10/9/2018

–2–

		मध्यप्रेश शासन	
3	न्यायालय कलेक्टर, कटनी का प्रकरण क्रमांक 128/बी–121/14–15 मौजा झिंझरी, तहसील कटनी, आदेश दिनांक 20/9/16 आदेश पत्रिका 1 से 44। नक्शा आवेदन पत्र, वकालतनामा,रजिस्टर्ड पता, नक्शा खसरा की छायाप्रति, रा.नि.प्रतिवेदन, आम इश्तहार, सूचना पत्र, रिनंबरिंग सूची, खसरा, वकालतनामा, अधीक्षक भू–अभिलेख प्रतिवेदन, नक्शा मिशल की छायाप्रति एवं अन्य सहपत्र प्रतियां। पृष्ट 1 से 214।	मोहन शुक्ला पिता नारायण वगैरह विरूद्व मध्यप्रदेश शासन।	

(प्रवाचक)
अतिरिक्त कमिश्नर
जबलपुर संभाग।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक विविध–0036/2019/कटनी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
22.02.19	अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के क्रमांक क्यू/प्रवाचक/अपर आयु0/2018 जबलपुर दिनांक 29.11.18 के अनुसार अपर आयुक्त जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 0310/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.2.18 में पुर्नावलोकन की अनुमति चाही गई है। 2–अपर आयुक्त जबलपुर के पत्र में लेख किया गया है कि तत्कालीन अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक 12.2.18 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है। उक्त अपील के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय से पुर्नावलोकन की अनुमति चाही गई है। 3–प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा चाही गई पुर्नावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई करने के पश्चात ही आदेश पारित करें। इस न्यायालय से प्रकरण समाप्त किया जाता है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	